**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1687**

**उत्तर देने की तारीखः 27.12.2018**

**गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा**

**1687. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार गरीब बच्चों को बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार

कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्‍चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा (8वीं कक्षा तक) पूरी होने तक पास पड़ेास के स्‍कूल में नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान पूर्व में 2017-18 तक सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्‍यम से कार्यान्‍वित किये जाते थे और अब इनका कार्यान्‍वयन 2018-19 से समग्र शिक्षा के माध्‍यम से किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 से देश भर में केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना के रूप में स्‍कूल शिक्षा की समेकित योजना-समग्र शिक्षा आरंभ की गई है। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्‍यापक शिक्षा (टीई) की पूर्व की तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को समेकित किया गया है। यह प्री-स्‍कूल से कक्षा XII तक स्‍कूल शिक्षा का विस्‍तार करने हेतु एक व्‍यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्‍य स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर समावेशी और समान गुणवत्‍तापरक शिक्षा सुनिश्‍चित करना है। इसमें ‘स्कूल’ के प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्‍च प्राथमिक, माध्‍यमिक से लेकर वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तरों तक शिक्षा जारी रखने की परिकल्‍पना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को सर्व सुलभ पहुंच प्रदान करने और रिटेंशन, स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर अधिगम में सुधार और शिक्षा में जेंडर तथा सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटने हेतु एक कार्यक्रम के रूप में समग्रशिक्षा के कार्यान्‍वयन करने के लिए सहायता दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत मुख्‍य कार्यकलाप हैं: (i) अवसरंचना विकास और अवधारण सहित सर्व सुलभ पहुंच; (ii) जेंडर और समानता; (iii) समावेशी शिक्षा; (iv) गुणवत्‍ता; (v) अध्‍यापक वेतन हेतु वित्‍तीय सहायता; (vi) डिजिटल पहल; (vii) नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत वर्दी, पाठ्यपुस्‍तकें इत्‍यादि सहित पात्रता; (viii) प्री-स्‍कूल शिक्षा; (ix) व्‍यावसायिक शिक्षा; (x) खेल एवं शारीरिक शिक्षा; तथा (xi) अध्‍यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। इस योजना में मुख्‍य जोर स्‍कूल शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने पर दिया गया है और सभी कार्यकलापों के लिए रणनीति स्‍कूलिंग के सभी स्‍तरों पर अधिगम परिणामों में वृद्धि करना रहेगी।

समग्र शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:-

1. पुस्‍तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5,000 रूपए से 20,000 रूपए प्रति स्‍कूल का वार्षिक अनुदान।
2. समेकित स्‍कूल अनुदान 14,500-50,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000-1,00,000 रूपए किया गया और इसे स्‍कूल नामांकन के आधार पर आबंटित किया जाएगा।
3. खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 5,000 रूपए, उच्‍च प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 10,000 रूपए और माध्‍यमिक एवं वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍कूलों के लिए 25,000 रूपए तक की लागत का वार्षिक अनुदान।
4. विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) के लिए आबंटन 3,000 रूपए से बढ़ाकर 3500 रूपए प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष किया गया। साथ ही सीडब्‍ल्‍यूएसएन बालिकाओं के लिए कक्षा I से XII तक 200 रूपए प्रति माह का स्‍टाईपंड भी दिया जाएगा- पहले यह केवल कक्षा IX से XII के लिए ही दिया जाता था।
5. वर्दियों के लिए आबंटन 400 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष किया गया।
6. पाठ्यपुस्तकों के लिए आबंटन 150/250 रूपए से बढ़ाकर 250/400 रूपए प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष किया गया।
7. कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 में प्रोन्‍नयन।
8. सेवाकालीन और प्री-सेवा अध्‍यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्‍था के रूप में एससीईआरटी के साथ शिक्षकों की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसी अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाओं का सुदृढ़ीकरण।
9. स्‍मार्ट शिक्षण कक्षों, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्‍यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि।

साथ ही आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबद्ध बच्‍चों के कक्षा 1 में पास-पड़ोस के निजी गैर-सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में राज्‍यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित प्रति बच्‍चा मानदंडों के आधार पर उक्‍त कक्षा की संख्‍या के न्‍यूनतम 25 प्रतिशत तक कक्षा I में प्रवेश के लिए किये गये व्‍यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है।

\*\*\*\*\*